उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या:-638/2021/आई/116071/ 41-1002(001)/8/2021-106 (बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर, 2021
संख्या-502/2021/आई/105865/41-1002(001)/8/2021-106 (बजट)/2021, दिनांक 13.10.2021

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-4135/6-1-1(1262)/2021-22, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद फर्रूखाबाद में स्थित बौद्ध पर्यटन स्थल संकिसा के पर्यटन विकास व अन्य मूलभूत पर्यटन सुविधाओं की प्रायोजना हेतु आवश्यक भूमि क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या -502/2021/आई/105865/41-1002(001)/8/2021-106 (बजट)/2021, दिनांक 13.10.2021 के पृष्ठ सं0-01 के बिन्दु संख्या-02 में वित्तीय स्वीकृति शब्द अंकित नहीं है तथा प्रतिलिपि में कोषागार अंकित नहीं है।

2. अत: एतद्द्वारा शासनादेश संख्या-502/2021/आई/105865/41-1002(001)/8/2021-106 (बजट)/2021, दिनांक 13.10.2021 के पृष्ठ सं0-01 के बिन्दु संख्या-02 में **वित्तीय स्वीकृति शब्द तथा प्रतिलिपि में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 13.10.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- उप निदेशक, पर्यटन, मु0 उ0प्र0 लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ एवं कानपुर मण्डल, लखनऊ।
8- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
9- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।